: :न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला–झालावाड़ (राज.): :

पीठासीन अधिकारी	:	**श्रीमती लक्की सोनी, आर.जे.एस.**
नि.फौ.प्रकरण संख्या	:	**314/2016**
सीआईएस नंबर	:	**1168/2016**
एफआईआर सं	:	**35/2015**
सीएनआर नंबर	:	**RJJW08-000373-2016**

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला–झालावाड़ (राज.)

अभियोगी...

बनाम

1. कैलाश पुत्र रामचन्द्र उम्र 32 साल
2. बनेसिंह उर्फ भगवानसिंह पुत्र रामचन्द्र उम्र 40 साल निवासीगण डुंगरगांव की टापरिया थाना भालता जिला झालावाड राज0

अभियुक्तगण.......

अपराध अन्तर्गत धारा 435/34 भा.दं.सं.

उपस्थितः–

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री सुनील कुमार पारेता विद्वान अधिवक्ता., अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय **दिनांकः– 7.03.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 19/02/2015 को फरियादी श्री मदनलाल पुत्र भैरूलाल उम्र 58 साल निवासी पालखन्दा थाना घाटोली ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसने उसके खेत पर एक तरफ बाडा बनाकर बाडें में 22 ट्रोली घास कडप रख रखी थी तथा एक ट्रोली जलाव लकडी रख रखी थी तथा उसमें उसके पास ही 2 आम के पौधे लगा रहे थे। दिनांक 05/02/15 गुरूवार की रात्रि को डूंगरगाँव की टापरियाँ वाले कैलाश पुत्र रामचन्द्र तंवर व उसके भाई बनेसिंह ने आग लगाकर जला दिया। जिससे उसके बाड़े में रखा चारा जलकर राख हो गया। इनको उसके घास में आग लगाते हुये उनके गांव के प्रेमसिंह पुत्र गंगाराम तंवर व लक्ष्मण तंवर निवासी डूंगरगांव की टापरियों थाना भालता वालों ने देखा है। उनके गांव के रोडू की लड्की मांगीबाई की शादी रामचन्द्र के लड़के कैलाश डूंगरगांव की टापरियों के साथ की है। इन दोनो के आपस में समझौता नहीं होने से रोडू की लडकी को नही ले जा रहा है इसी बात की इन दोनो रिश्तेदारों में लडाई चल रही है। इन दोनों से उसे कोई लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी इन दोनो ने जान बुझकर उसके घास में आग लगाकर नुकसान किया है। ....इत्यादि।

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 35/2015 अन्तर्गत धारा 435/34 भा.दं.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण कैलाश, बनेसिंह उर्फ भगवानसिंह के विरूद्ध धारा 435/34 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया

गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इन्हीं धाराओं में दिनांक 23-11-2016 को प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

3. अभियुक्तगण कैलाश, बनेसिंह उर्फ भगवानसिंह के विरूद्ध धारा 435/34 भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की सूची

अभियोजन साक्षीगण

रैंक	**नाम**
पी.डब्ल्यू—1	मदनलाल पुत्र भैरूलाल
पी.डब्ल्यू—2	मदनलाल पुत्र रामचन्द्र
पी.डब्ल्यू—3	नानूराम
पी.डब्ल्यू—4	ओमप्रकाश
पी.डब्ल्यू—5	बजेसिंह
पी.डब्ल्यू—6	प्रेमसिंह

5. अभियोजन पक्ष के प्रदर्श की सूची

अभियोजन पक्ष

कमांक	**प्रदर्श कमांक**	**विवरण**
1.	प्रदर्श पी 1	तहरीरी रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी 2	चाक एफआईआर
3.	प्रदर्श पी 3	फर्द नक्शामौका
4.	प्रदर्श पी 4	फर्द फोटोग्राफस
4.	प्रदर्श पी 6	फर्द फोटोग्राफस
5.	प्रदर्श पी 9	फर्द फोटोग्राफी

6. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्तगण का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् किया गया, तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य

होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया। बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

7. बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

बचाव साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीण)
निल	निल	निल

8. बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

बचाव पक्ष

कमांक	प्रदर्श कमांक	विवरण
1.	प्रदर्श पी 5	पुलिस बयान मदनलाल
2.	प्रदर्श पी 7	पुलिस बयान प्रेमसिंह

9. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

10. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है, गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

11. बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न है कि–

1– क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 5–02–2015 को रात्रि किसी समय ग्राम मौजा पालखन्दा तहसील अकलेरा के खेत में अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय की पूर्ति में परिवादी

पक्ष के कब्जे में रखा चारा, घास आर्थिक नुकसान पहुंचाने की नियत से आग लगाकर नष्ट कर रिष्टि कारित की?

2— यदि हॉं, तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

12. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष प्रकरण की मुख्य साक्षी स्वयं फरियादी मदनलाल पुत्र भैरूलाल पीड—01 है, ने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि करीब चार साल पहले की बात है। उसके बाडे में 22 ट्रोली घास कडप रखी थी तथा एक ट्रोली जलाव लकडी भी रखी थी। उसके पास में आम के दो पौधे रखे थे। रात्रि में किसी ने उसमें आग लगा दी थी। उसे प्रेमसिंह लक्ष्मण ने बताया कि तेरे बाडे में आग लगा दी है किसने आग लगाई उसे पता नहीं है। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि मुलजिमान से उसका राजीनामा हो गया हैं। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने थाने में रिपोर्ट करायी थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी1 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी2 व नक्शामौका प्रदर्श पी3 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। घटनास्थल की फोटाग्राफी करायी थी जो प्रदर्श पी4 हे जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस में उसके बयान नहीं हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी5 के ए से बी भाग में उसने कैलाश व भगवानसिंह द्वारा उसके चारे में आग लगाये जाने वाली बात लिखायी हो तो उसे पता नहीं है। पुलिस बयान प्रदर्श पी5 का ए से बी भाग जिसमें कैलाश बनेसिंह उर्फ भगवानसिंह द्वारा आग लगाने वाली बात गलत लिखी है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उनका राजीनामा हो गया है।

13. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 2 मदनलाल पुत्र रामचन्द्र ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि दिनांक 19.02.2015 को थाना घाटोली में बतौर हैड कानि कार्यरत था। उस दिन इंचार्ज थानाधिकारी श्री ओमप्रकाश एएसआई ने मुकदमा नं. 35/2015 धारा 435/34 आईपीसी की पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे सुपुर्द की थी। दौराने अनुसंधान उसने फरीयादी मदनलाल पुत्र भैरूलाल, गवाह लक्ष्मण पुत्र मांगीलाल, प्रेमसिंह पुत्र गंगाराम के बयान उनके कहेअनुसार लेखबद्ध किये। घटनास्थल का नक्शामौका फरीयादी की निशादेही से बनाया व घटना के फोटोग्राफ्स फरीयादी द्वारा पेश करने पर शामिल पत्रावली किये। नक्शामौका प्रदर्श पी3 है जिस पर सी से डी उसके ए से बी फरीयादी मदनलाल के व इ से एफ गवाह विजय सिंह व जी से एच नानूराम के हस्ताक्षर है। फर्द फोटोग्राफी प्रदर्श पी 4 है जिस पर सी से डी उसके ए से बी फरीयादी मदनलाल के व इ से एफ गवाह विजय सिंह व जी से एच

नानूराम के हस्ताक्षर है। घटना का फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी6 है जो उसने शामिल पत्रावली किया था। उसके सम्पूर्ण अनुसंधान से मुल्जिम कैलाश पुत्र रामचन्द्र, बनेसिंह उर्फ भगवान सिंह पुत्र रामचन्द्र के विरूद्ध धारा 435/34 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली थानाधिकारी के समक्ष सुपुर्द की थी जिन्होने बाद कता चार्जशीट चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया था।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि घटना की रिपोर्ट दिनांक 19.02.2015 को की गई थी। प्रदर्श पी 1 में पृष्ठांकन पर दिनांक 19.01.2015 अंकित है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने सभी गवाहान् के बयान दिनांक 20.02.2015 को लिये थे। इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 5 गवाह मदनलाल के बयान पर दिनांक 19.02.2015 अंकित है। नक्शामौका उसने दिनांक 20.02.2015 को बनाया था। कड़प की फसल में आग लगी थी। कड़प मक्का थी या ज्वार की थी यह वह नहीं बता सकता। इस सुझाव को स्वीकार किया कि ज्वार की फसल मार्च महिने के बाद आती है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसे फरीयादी ने शादी में झगडा लेने की बात को लेकर रंजिश चलने वाली बात बताई थी। यह उसे पता नही है कि फरियादी मदनलाल ने उक्त रंजिश के कारण मुल्जिमान का झूठा नाम लिखा दिया हो। इस सुझाव को स्वीकार किया कि घटनास्थल पर धनिये की फसल उगी हुई थी। उसने तो मौके पर राख पड़ी हुई देखी थी। इस सुझाव को स्वीकार किया कि पत्रावली गवाह लक्ष्मण व गवाह प्रेमसिंह के बयानो पर दिनांक 10.03.2015 अंकित है।

14. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 3 नानूराम ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि मदनलाल तवंर उनके गांव का है जिसको वह जानता है। आज से करीब 8–10 साल पहले मदनलाल के खेत में आगजनी की घटना हो गई थी। पुलिस मौका देखने गई थी। नक्शा मौका प्रदर्श पी3 बनाया था और मौके की फोटो खिची थी मौके की फर्द फोटोग्राफी प्रदर्श पी4 है जिन पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने आग पटेल जी के यहां लगी थी। उन्होंने आग जलती हुई देखी थी। पुलिस एक बार घटना के दिन ही चली गई थी तथा उसके बाद पुलिस दो–चार दिन बाद गई हो तो उसका उसे पता नही है। प्रदर्श पी3 व पी4 में क्या लिखा है उसे पता नही है लेकिन इन पर हस्ताक्षर मौके पर ही कराये थे। मौके की कार्यवाही के समय थाने वाले थे और किस–किसके हस्ताक्षर कराये थे, उसे याद नही है।

15. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 4 ओमप्रकाश ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि दिनांक 19.02.2015 को पुलिस थाना घाटोली में

एएसआई/आईसी थाना के पद पर कार्यरत था। उस दिन एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी1 श्री मदनलाल पुत्र भैरूलाल तवंर निवासी पालखंदा ने उपस्थित थाना होकर उसके समक्ष पेश की। मजमून रिपोर्ट से मामला धारा 435 आईपीसी का पाए जाने पर मुकदमा नम्बर 35/2015 पंजीबद्ध कर तफ्तीश श्री मदनलाल हैड कानि. के जिम्मे करी। बाद अनुसंधान पत्रावली थाने पर उसने पत्रावली का अवलोकन कर मुलजिमान् कैलाश, बन्नेसिंह उर्फ भगवानसिंह के खिलाफ धारा 435,34 आईपीसी के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि उसने चार्ज शीट दिनांक 19.02.2015 को चार्ज शीट कता की थी। इस सुझाव को स्वीकार किया कि चार्ज शीट प्रदर्श डी1 पर चार्ज शीट कमांक 34 दिनांक 31.03.2015 अंकित है। मुलजिमान् का उसे ध्यान नही है।

16. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 5 बजेसिंह ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि मदनलाल उनके गांव के ही थे जिनकी मृत्यु हो गई है। आज से करीब 8—10 साल पहले की बात है, मदनलाल के खेत में किसी ने आग लगा दी थी। इस बाबत् मदनलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, पुलिस मौके पर आई थी, मौका मुआयना किया था और फोटो खींची थी। नक्शा मौका प्रदर्श पी3 व फर्द फोटोग्राफी प्रदर्श पी4 है जिन पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जिरह का अवसर दिए जाने पर भी अधिवक्ता अभियुक्त् ने जिरह नही करना जाहिर किया।

17. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 6 प्रेमसिंह ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि करीब 8—10 साल पहले की बात है। उसने मदनलाल के खेत में आग लगाने की बात सुनी थी, उसे पता नही है आग किसने लगाई थी, वह मौके पर नही था। उसने कोई घटना नही देखी। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने यह कथन किया कि वह पढ़ा लिखा नही है, केवल हस्ताक्षर करना जानता है। इस सुझाव को स्वीकार किया कि आज से करीब 10 साल पहले पुलिस मदनलाल के खेत पर आई थी। इस सुझाव से इन्कार किया कि दिनांक 05.02.2015 को रात्रि 11 बजे मदनलाल खेत में कैलाश और उसका भाई बनेसिंह ने आग लगा कर फसल और पेड़ जला दिये हो। इस सुझाव को स्वीकार किया कि मांगीबाई का और कैलाश का विवाद था। कैलाश को झगड़े के पैसे नही मिले थे इसलिए कैलाश ने मदन के खेत में लगाई थी। पुलिस बयान प्रदर्श पी7 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नही लिखाया। इस सुझाव से

इन्कार किया कि मुलजिम को बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो। जिरह का अवसर दिए जाने पर भी अधिवक्ता अभियुक्त् ने जिरह नही करना जाहिर किया।

18. उपरोक्त समस्त बयानों के अवलोकन से प्रकट होता है कि फरियादी मदनलाल पुत्र भैरूलाल द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी1 में यह कथन किया गया है कि दिनांक 05/02/15 गुरूवार की रात्रि को डूंगरगाँव की टापरियाँ वाले कैलाश व बनेसिंह ने बाडे में आग लगा दी जिससे उसके बाड़े में रखा चारा जलकर राख हो गया। इनको उसके घास में आग लगाते हुये उनके गांव के प्रेमसिंह व लक्ष्मण ने देखा है। इस संबंध में फरियादी मदनलाल पीड–1 ने न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में यह कथन किया है कि उसके बाडे में 22 ट्रोली घास कडप व एक ट्रोली जलाव लकडी रखी थी। उसके पास में आम के दो पौधे रखे थे। रात्रि में किसी ने उसमें आग लगा दी थी। उसे प्रेमसिंह व लक्ष्मण ने बाडे में आग लगने का बतया था किसने आग लगाई उसे पता नही है। गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने यह कथन किया कि पुलिस बयान प्रदर्श पी5 के ए से बी भाग में उसने कैलाश व भगवानसिंह द्वारा उसके चारे में आग लगाये जाने वाली बात लिखायी हो तो उसे पता नहीं है। पुलिस बयान प्रदर्श पी5 का ए से बी भाग जिसमें कैलाश बनेसिंह उर्फ भगवानसिंह द्वारा आग लगाने वाली बात गलत लिखी है। ऐसे में स्वंय फरियादी न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में यह कथन करता है कि उसे इसकी जानकारी नही है कि बाडे में आग किसने लगाई। ऐसे में फरियादी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी1 व न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में भारी विरोधाभास प्रकट होता है। गवाह पीड–6 प्रेमसिंह ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि उसने मदनलाल के खेत में आग लगाने की बात सुनी थी। उसे पता नही है कि आग किसने लगाई थी वह मौके पर नही था। उसने कोई घटना नही देखी। गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि दिनांक 05.02.2015 को रात्रि 11 बजे मदनलाल खेत में कैलाश और उसका भाई बनेसिंह ने आग लगा कर फसल और पेड़ जला दिये हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी7 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नही लिखाया। ऐसे में उक्त गवाह के बयानों से यह जाहिर हो रहा है कि मदनलाल के खेत में किसने आग लगाई इसकी जानकारी उसे नहीं है। गवाह नानूराम नक्शामौका प्रदर्श पी3 व फर्द फोटोग्राफी प्रदर्श पी4 का गवाह है जो जिरह में कथन करता है कि प्रदर्श पी3 व प्रदर्श पी4 में क्या लिखा है उसे पता नही है।

19. उपर्युक्त समस्त बयानों के अवलोकन से प्रकट होता है कि फरियादी मदनलाल के द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी1 में वर्णित कथनों एवं न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में विरोधाभास प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त स्वंय फरियादी द्वारा यह भी कथन किया गया कि उसके बाडे में आग लगने की बात प्रेमसिंह व लक्ष्मण ने उसे बताई थी। प्रकरण के स्वतंत्र गवाह पीड–6 प्रेमसिंह ने यह कथन किया कि उसने आग लगने की बात सुनी थी, आग किसने लगाई इसकी उसे जानकारी नही है। ऐसे में प्रकरण में प्रस्तुत स्वतंत्र गवाह पीड–6 प्रेमसिंह ने भी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी1 में वर्णित कथनों की ताईद नही की है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट रूप से जाहिर नही हो पाया कि फरियादी मदनलाल के बाडे में अभियुक्तगण ने आग लगाई हो।

20. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्तगण के संबंध में संदेह से परे मामला साबित करना होता है। पत्रावली पर उपलब्ध समग्र सामग्री एवं समस्त गवाहन के बयानों के अवलोकन सें अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 5–02–2015 को रात्रि किसी समय ग्राम मौजा पालखन्दा तहसील अकलेरा के खेत में अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय की पूर्ति में परिवादी पक्ष के कब्जे में रखा चारा, घास आर्थिक नुकसान पहुंचाने की नियत से आग लगाकर नष्ट कर रिष्टि कारित की।

21. अतः अभियुक्तगण 1. कैलाश पुत्र रामचन्द्र उम्र 32 साल, 2. बनेसिंह उर्फ भगवानसिंह पुत्र रामचन्द्र उम्र 40 साल निवासीगण डुंगरगांव की टापरिया थाना भालता जिला झालावाड (राज०) पर आरोपित अपराध धारा 435/34 भादस में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

22. अतः **अभियुक्तगण 1. कैलाश पुत्र रामचन्द्र उम्र 32 साल, 2. बनेसिंह उर्फ भगवानसिंह पुत्र रामचन्द्र उम्र 40 साल निवासीगण डुंगरगांव की टापरिया थाना भालता जिला झालावाड (राज०) पर आरोपित अपराध धारा 435/34 में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त** किया जाता है।

23. अभियुक्तगण को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह प्रकरण में अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु **धारा 437 क दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10,000–10,000/– के जमानत मुचलके** पेश कर तस्दीक करावे जो कि बाद

कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे। अभियुक्तगण के पूर्व के हाजरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(लक्की सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा,
जिला—झालावाड़ (राजस्थान)

24. निर्णय आज दिनांक 7–03–2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(लक्की सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा,
जिला—झालावाड़ (राजस्थान)

प्रमाण पत्र

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

SAKSHI
CHAWLA

Steno Gr.III
"Authenticate
document"
Digitally signed
by SAKSHI
CHAWLA
Date: 2026.03.09
16:06:57 +0530

नोटः–यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।